गई। पत्रावली आयंदा दिनांक 02/12/2020 को पेश हो।

2/12/20 पत्रावली प्रस्तुत। स्टेट पैरोकार एवं नायब तहसीलदार कार्यालय द्वारा उप०। मुताबिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955, संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं नजरी नक्शा हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि चक -9 LM(B) के मु० नं० 283/479 का कि० नं० 4 ता 10 का 2.530 हैक्टर अनकमांड मय खाला गैर खातेदार अप्रार्थी हरीराम पुत्र देवीराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है। परंतु अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का उपयोग कभी भी ~~कहीं~~ कृषि कार्य हेतु नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर लगभग 330 की जनसंख्या निवासरत है। अतः उक्त भूमि ~~का~~ का उपयोग आबादी भूमि में होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला राज० काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.27 09:14:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर/दिनांक

अधिनियम, 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत फलत: अप्रार्थी की उक्त आवंटित भूमि को खारिज किया जाकर राजकीय घोषित किया जावे ताकि राजकीय भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाकर उसमें बसे परिवारों को राजकीय योजना का लाभ दिलवाया जा सके।

वादपत्र के अभिवचनों, संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा का अवलोकन किया गया एवं राज्य पैरोकार नायब तहसीलदार (कार्यालय हाजा की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी के बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं। अत: अप्रार्थी को सुने जाने के स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

न्यायालय की राय में कृषि भूमि पर आबादी बसाने का प्रत्यक्ष आशय यही है कि संबंधित अप्रार्थी अपनी भूमि पर कब्जा सुरक्षित रखने में असफल रहे एवं कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ होने दिया जो कि न केवल कृषि भूमि के लिए प्रतिकूल कार्य है बल्कि शर्तों का उल्लंघन भी है। अत: अप्रार्थी का उक्त कार्य इसको धारा 177, रा०का०अ० के तहत उनकी जमीन से बेदखली के लिए उत्तरदायी ठहराता है बल्कि रा० का० अ० की धारा 63(iv) के उल्लंघन के तहत आने के कारण न्यायालय को उनकी काश्त को/काश्तकारी अधिकार को समाप्त करने हेतु सक्षम भी बनाता है। निष्कर्षत: न्यायालय का मत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

-: आदेश :-

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी के नाम से चक [illegible](B) के मु० नं० 283/479 का किला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.27 09:14:21 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी त... नम्बर
	2.530 हैक्टर दर्ज भूमि भूमि के आवंटन को खारिज कर उक्त भूमि को सरकारी घोषित किया जाता है कि तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह अप्रार्थी के नाम से दर्ज चक-9 LM (B) के मु० नं०-283/479 का किला नं० 1/7/10 का 2.530 हैक्टर अन्तर्गत मय खाला कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सरकारी दर्ज करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही होकर बाद तकमील नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.27 09:14:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner